संख्याः– 3670 /XXXVIII/जि0मि0ख0/2011–12

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(भूलेख अनुभाग)
उत्तराखण्ड।

देहरादून; दिनांकः 5 नवम्बर अक्टूबर, 2012

**विषयः– वर्ष 2011–12 (1419 फसली) खरीफ/रबी/जायद जिन्सवार एवं मिलान खसरा आदि विवरण पत्रों में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण।**

महोदय,

भूलेख नियमावली के पैरा–490 में तथा इस कार्यालय के पत्र सं0–7668/दिनांकः 29 दिसम्बर, 2010 एवं 2853/दिनांकः 02 अगस्त, 2011 में दिये गये निर्देशानुसार जिन्सवार/मिलान खसरा तथा अन्य विवरण पत्र आपके जनपद से प्रत्येक वर्ष परिषद द्वारा निर्धारित निम्न तिथियों में इस कार्यालय को भेजे जाते हैं :–

| विवरण पत्र | परिषद में देय : पर्वतीय | मैदानी |
|---|---|---|
| 1– खरीफ जिन्सवार | 10 दिसम्बर | 25 नवम्बर |
| 2– रबी जिन्सवार | 01 जुलाई | 15 अप्रैल |
| 3– जायद जिन्सवार | – | 01 जुलाई |
| 4– मिलान खसरा | 10 जुलाई | 10 जुलाई |
| 5– फल गणना | 10 जुलाई | 10 जुलाई |

इन विवरण पत्रों में मुख्यतः भूमि उपयोगिता का तथा फसलवार क्षेत्रफल के आंकड़े तहसीलवार तथा विकासखण्डवार दिये जाते हैं, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष सीजन तथा उपज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।इस रिपोर्ट में प्रकाशित सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर प्रदेशीय तथा भारत सरकार कृषि सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं तैयार करते हैं। जिलों से जिन्सवार तथा मिलान खसरा को परिषद कार्यालय में प्राप्ति का समय इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि जिससे मूल्यांकन, खाद्य सुरक्षा तथा नियोजन के कार्य में इन सूचनाओं का उपयोग भली भांति हो सके। इसके अतिरिक्त समय–समय पर मुख्य फसलों के आंकड़े भारत सरकार को निर्धारित समय के अनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं।

**शासन स्तर पर इन आंकड़ों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता पर कई बार प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं।** परिषद स्तर पर इन विवरण पत्रों की जाँच करने पर विभिन्न प्रकार की त्रुटियां अधिक पायी जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए उक्त विवरण पत्र परिषद में निर्धारित समय से प्राप्त हों तथा इनमें त्रुटियां न हों इस पर बल दिया जा रहा है परन्तु त्रुटियां अभी भी बराबर होती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कर्मचारी इन विवरण पत्रों को तैयार करने में पूर्ण सावधानी नही बरत रहे हैं। वर्ष 2011–12 (1419 फसली) के सम्बन्धित जो विवरण पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी परिषद स्तर पर जाँच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पायी गयी है :–

1– जिन्सवार निर्धारित समय से प्राप्त नही हुए हैं।
2– कतिपय जनपदों से पुराने पत्रों पर प्राप्त हुए हैं जिसमें सभी फसलों के क्षेत्रफल नही दर्शाये गये हैं।
3– कुछ जनपदों से जिन्सवार में स्त्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल नही दर्शाये गये हैं।

4– जिन्सवारों में योग की त्रुटियां अधिक पायी गयी हैं जिससे यह विदित होता है कि जो विवरण परिषद को प्रस्तुत किये जाते हैं उन्हें जिले स्तर पर पूर्ण रूप से मिलान नही किया जाता है। इस प्रकार की त्रुटियां कुछ जनपदों में अधिक पायी जाती हैं।

5– कतिपय जनपदों द्वारा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल भी गतवर्ष की अपेक्षा अधिक या कम दर्शाया जाता है जबकि जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल एक सा ही रहता है।

6– मिलान खसरा के कॉलम सं0–25 से 37 मैदानी क्षेत्रों एवं 24 से 27 पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न स्त्रोतों से वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल खरीफ, रबी एवं जायद जिन्सवारों के विभिन्न स्त्रोतों के क्षेत्रफल के आंकड़ों से सही मेल नही हो रहे हैं। कतिपय मैदानी जनपदों का वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल घट रहा है परन्तु कारण नही दिया जाता है।

7– मिलान खसरा में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल किसी एक मौसम के अधिकतम क्षेत्रफल से कम व वर्ष के कुल कृषिमय क्षेत्रफल से अधिक नही होना चाहिए। कतिपय जनपदों का शुद्ध कृषित क्षेत्रफल घट रहा है परन्तु कारण नही दिया जाता है।

8– मैदानी जनपदों में कुछ फसलों का क्षेत्रफल पहली बार दर्शाया जा रहा है जबकि पिछले तीन फसली वर्षों में नही दर्शाया गया है।

9– कुछ जनपदों द्वारा मैदानी क्षेत्रों के जिन्सवार के आंकड़े दशमलव के तीन अंकों तक आ रहे हैं जबकि इन्हें बिना दशमलव के पूर्ण अंकों में आना चाहिए।

10– कतिपय जनपदों द्वारा पड़ताली एवं कुल राजस्व ग्रामों की संख्या नही दर्शायी जाती है जिससे यह ज्ञात नही हो पाता है कि पड़ताल सभी राजस्व ग्राम में हो रही है या नही।

11– कतिपय मैदानी जनपदों द्वारा जिन्सवार में गतवर्ष की अपेक्षा कमी/वेशी नही दर्शायी जाती है।

12– कतिपय जनपदों द्वारा रोस्टर के अनुसार पड़ताली ग्रामों की संख्या एवं कुल राजस्व ग्रामों की संख्या में अन्तर दिखाया जाता है जिससे सही–सही मिलान नही हो पाता है।

13– जिन्सवार में अंकित फसलों के क्षेत्रफल में यदि 10 प्रतिशत से अधिक की कमी या वृद्धि पायी जा रही हो तो उसका कारण नही दिया जाता है। इसी प्रकार स्त्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल में भी यदि कमी या वृद्धि हो तो उसका कारण अवश्य दिया जाना चाहिए।

14– जिन्सवार विवरण पत्रों के साथ संलग्न परिशिष्टों यथा अन्य धान्य, अन्य दालें, अन्य मसाले, अन्य तिलहन एवं अन्य तरकारियों के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के नाम एवं क्षेत्रफल नही दिये जा रहे हैं, साथ ही साथ कतिपय जनपदों द्वारा मिलान खसरा के कॉलम नं0– 3, 4 एवं सामाजिक वानिकी के क्षेत्रफल भी नही दिये जा रहे हैं।

15– कतिपय जनपदों द्वारा प्रत्येक सीजन में गौण फसलों तथा किराना मसालों के क्षेत्रफल (जिन्सवार के अनुसार) एवं औसत उपज के आंकड़े नही भेजे जा रहे हैं।

16– कतिपय जनदों में खरीफ सीजन में बासमती धान, अगहनी एवं भदई धान, गन्ना, अन्य दालें, अन्य तिलहन एवं रबी सीजन में गेहूँ, आलू आदि का क्षेत्रफल घट रहा है किन–किन कारणों से यह क्षेत्रफल घट रहा है इसका कारण नही दिया जाता है।

17– कतिपय पर्वतीय जनपदों द्वारा रबी जिन्सवार में फलों का क्षेत्रफल नही दिखाया जा रहा है।

18– कतिपद मैदानी जनपदों से प्राप्त टी0आर0एस0 तालिका में अंकित आंकड़ों का मिलान जिन्सवार से नही हो पाता है इसका तात्पर्य है कि कुछ फसलों के क्षेत्रफल के आंकड़े जो टी0आर0एस0 तालिका में अंकित हैं, जिन्सवार में अंकित नही होते हैं, जिसके कारण अनुपातिक अनुमान के आधार पर फसलों के क्षेत्रफल की गणना त्रुटिपूर्ण हो जाती है।

इन त्रुटियों को पत्रव्यवहार द्वारा निराकरण करने में बहुत विलम्ब हो जाता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव सम्पादित किये जाने वाले आंकड़ों पर तथा स्थायी रूप से रिकार्ड तैयार करने एवं रिपोर्ट को प्रकाशित करने में विलम्ब होता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों से अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराते हुए भविष्य के लिए कड़े आदेश दे दें कि ऊपर लिखित विवरण पत्रों को परिषद में भेजने के पूर्व ठीक तरह से जाँच कर लें, ताकि इस प्रकार की त्रुटियां भविष्य में पुनरावृत्ति न हों, अन्यथा इस विषय पर जिम्मेदार पाये गये सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति कठोर कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पड़ताल कार्य पर विशेष जोर देते हुए नियमानुसार उसके पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की जाय। **साथ ही साथ जिलास्तर पर प्रत्येक मासिक बैठक/सीजन (खरीफ/रबी/जायद) की समाप्ति पर इसकी अनिवार्य रूप से समीक्षा करने का कष्ट करें ताकि इन आंकड़ों की गुणवत्ता बनी रहे।**

भवदीय,

**(सुभाष कुमार)**
अध्यक्ष, राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– 1– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव कृषि, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया अपने अधीन समस्त जिलाधिकारियों की मासिक बैठक में भूलेख कार्यों की समीक्षा के समय उपरोक्त विवरण पत्रों में अपेक्षित सुधार के लिए कड़े आदेश दिये जायें।
4– संयुक्त कृषि निदेशक (सां0), कृषि निदेशालय, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

**अध्यक्ष, राजस्व परिषद,**
उत्तराखण्ड, देहरादून।